

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पत्रांक-02/शमन-07(A)/2015, परि0

1279

पटना, दिनांक- 13/2/2025

परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-7344, दिनांक-25.09.2023 द्वारा नवनियुक्त अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षक एवं नवनियुक्त प्रवर्तन अवर निरीक्षक को मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194A, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F, 196 एवं धारा-201 के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त पर सम्यक विचारोपरांत मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित- मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की सभी धाराओं के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए नियमानुसार उनपर शास्ति अधिरोपित करने हेतु नवनियुक्त प्रवर्तन अवर निरीक्षक को शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

kan
13/2

(संजय कुमार अग्रवाल)

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 02/शमन-07(A)/2015, परि0

1279

पटना, दिनांक- 13/2/2025

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

kan
13/2

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 02/शमन-07(A)/2015, परि0

1279

पटना, दिनांक- 13/2/2025

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05 एवं प्रशाखा-07, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रवर्तन तंत्र के पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

kan
13/2

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।